

प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2015 प्र0सु0रि0स0 04
दिनांक 11.6.2015
2. धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988
3. (क) अपराध की घटना : 11.6.2015
(ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 11.6.2015 समय 04.30 पी0एम0.
(ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 06
4. सूचना का प्रकार : लिखित
5. घटनास्थल: (क) दूरी लगभग 95 कि0मी0 यमुनानगर ।
6. िाकायतकर्ता/सूचनादाता
नाम हरबीर सिंह
पिता का नाम राम पाल
राष्ट्रीयता भारतीय
व्यवसाय डिपो होल्डर
पता गांव सुढैल जिला यमुनानगर
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण
इन्सपैक्टर इन्द्र सिंह फूड सप्लाइ विभाग यमुनानगर ।
लिंग पुरुश
भाशा हिन्दी
8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं।

सेवा मे निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो यमुनानगर , श्रीमान जी, निवेदन है कि मै हरबीर सिंह पुत्र श्री राम पाल जाति जाट गांव सुढैल का रहने वाला हुं और अंगहीन हुं मैने सुढैल गांव तहसील जगाधरी का डिपु अपने नाम से लिया हुआ है । इसके ईलावा नजदीकी गांव सुढैल, हरनौल, झीझारों डिपु सुढैल से ही अटैच है । फुड सप्लाइ विभाग से इस क्षेत्र के लोगो के लिये गेंहु मिटटी का तेल चीनी, दाल आदि रहती है फुड सप्लाइ विभाग यमुनानगर का इन्सपैक्टर इन्द्र सिंह जो हमारे डिपु की चैकिंग करता है उसने पिछले सप्ताह हमारे डिपु की जब ताला बन्द था फोटो उतार रखी है भाम का समय था और कहता है कि यदि रि वत नही दोगे तो तुम्हारा डिपु बन्द करवा दूंगा इस लिए वो कहता है कि तुम मुझे अब 30,000 रू0 रि वत दो और भविश्य मे 10,000 रू0 महीना रि वत दिया करो तो तुमे कोई भी परे ानी नही होगी उसने आज मुझे 30,000 रू0 लेकर अपने दफतर यमुनानगर बुलाया है उसके फोन न0 09034790003 से मेरे फोन न0 09813537808 व मेरे हैल्पर सितेन्द्र सिंह के मोबाईल न0 09416352216 पर बार बार फोन

कर रहा है मैं रि वत नहीं देना चाहता परन्तु इन्द्र सिंह निरीक्षक मुझे रि वत देने के लिए मजबूर कर रहा है मैं इन्द्र सिंह निरीक्षक को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ कानूनी कार्यवाही की जावे । **हस्ता :-** हरबीर सिंह पुत्र श्री रामपाल गांव सुढैल तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर मो0-09813537808

कार्यवाही:- इस समय मन नि0 दफतर हाजिर हूँ। श्री हरबीर सिंह पुत्र श्री रामपाल वासी सुढैल ने हाजिर युनिट आकर उपरोक्त दरखास्त मन नि0 को पे 1 की है जो दरखास्त से सरेदस्त जुर्म 7 पी0सी0एक्ट का सरजद होना पाया जाता है जिस पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सि0 भी 1 कुमार न0 408 अम्बाला के अरसाल थाना है बाद कायमी मुकदमा न0 पर्चा से सुचित किया जाये और स्पै 1ल रिपोर्ट बजरिया स्पै 1ल मैसन्जर सेवा मे ईलाका मैजीस्ट्रेट व अफसरान बाला को भिजवाई जावे मन निरीक्षक मय ए.एस.आई रघुबीर सिंह न0 180/अम्बला, ई.ए.एस.आई रामे वर दास न0 58 कुरुक्षेत्र, एच.सी संजय कुमार न0 575 कुरुक्षेत्र, एच.सी.म 1रूफ अली 2106 गुड़गांव, ई.एच.सी सीताराम न0 1045 अम्बाला, ई.एच. सी परमीत सिंह न0 774 अम्बाला, बा सवारी गाड़ी सरकारी एच.आर 68-8130 जिसका चालक ई.एच.सी सीताराम है मय मुदई के बराये करने पूरी औपचारिकतायें रेड रवाना उपायुक्त कार्यालय यमुनानगर का होता हूँ । रेडिंग किट व तफती 1ी बैग हमरा लिया गया रा0चौ0ब्यूरो, युनिट यमुनानगर । **हस्ता:-** नि0 सतनारायण थाना रा0चौ0ब्यूरो, उपकेन्द्र य0नगर दिनांक 11.6.2015 समय 01:15 पी0एम0 अज थाना :- उपरोक्त लिखित तहरीर पर अभियोग अकिंत करके नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट उच्च अधिकारियों की सेवा मे असल तहरीर नकल मिसल पुलिस तफती 1 हेतु बर मौका व स्पै 1ल रिपोर्ट ईलाका मैजीस्ट्रेट य0नगर की सेवा मे आदस्त सि0 भी 1 कुमार न0 408 अम्बाला भेजी जा रही है ।

उप नि0 रमे 1 चन्द्र 447/सोनीपत
थाना रा0चौ0ब्यूरो, पचंकूला ।

